बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

।। आदेश ।।

माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार के द्वारा समर्पित परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 986 दिनांक 20.02.2025 से विशेष कार्य पदाधिकारी, खान एवं भूतत्व विभाग से संदर्भित मामले की जाँच करायी गयी। जाँच प्रतिवेदन में जाँच पदाधिकारी द्वारा मो0 अरमान राईन, तत्कालीन खान निरीक्षक, मोतिहारी पर अवैध खननकर्ताओं पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं करने तथा कार्य में लापरवाही बरतना प्रतिवेदित किया गया है। जाँच में जाँच स्थल पर पाया गया कि जे0सी0बी0 एवं दोनो ट्रैक्टर द्वारा संयुक्त रूप से बलुआही मिट्टी का अवैध खनन कर परिवहन व्यवसाय के लिए किया जा रहा था। अवैध खनन में संलिप्त वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी। मो0 अरमान राईन, तत्कालीन खान निरीक्षक, मोतिहारी का यह कृत्य अपने पदीय दायित्व का सही ढ़ंग से निर्वहन नहीं करना तथा अवैध खननकर्ताओं से मिलीभगत का परिचायक है।

2. मो0 अरमान राईन, तत्कालीन खान निरीक्षक, मोतिहारी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक 5351 दिनांक 23.09.2025 से आरोप पत्र में अंकित अवचार के बिन्दु पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. मो0 अरमान राईन, तत्कालीन खान निरीक्षक, मोतिहारी द्वारा दिनांक–09.10.2025 को लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। मो0 अरमान राईन द्वारा 13.01.2025 को थाना में सुरक्षार्थ रखे गये एक जे0सी0बी0 एवं दो ट्रैक्टर की जाँच तथा अवैध खनन स्थल की जाँच की गयी। जाँचोपरांत उनके द्वारा दिनांक 14.01.2025 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया, लेकिन उनके द्वारा उक्त वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी। समीक्षोपरांत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो0 अरमान राईन द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। मो0 अरमान राईन प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत पाये गये हैं। मो0 अरमान राईन के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतएव मो0 अरमान राईन के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मोतिहारी तथा** प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, मोतिहारी** को नियुक्त किया जाता है।

5. मो0 अरमान राईन से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

अनुलग्नकः–आरोप पत्र साक्ष्य सहित (संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं मो0 अरमान राईन हेतु)

स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–प्र0–II–अरा0(आ0)–30/2025–................../एम0, पटना, दिनांक................

प्रतिलिपिः–अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, मोतिहारी–सह–संचालन पदाधिकारी/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, मोतिहारी–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी /मो0 अरमान राईन, तत्कालीन खान निरीक्षक, मोतिहारी सम्प्रति जिला खनन

कार्यालय, नालंदा (प्रतिनियुक्त मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही का निष्पादन कर जाँच प्रतिवेदन (मंतव्य सहित) विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–30/2025–................/एम0, पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मोतिहारी/नालंदा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–30/2025–................/एम0, पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी/नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–30/2025–................/एम0, पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, अंचल कार्यालय, मुजफ्फरपुर/सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–प्र0–II–अरा0(आ0)–30/2025–7077/एम0, पटना, दिनांक 17/11/25

प्रतिलिपिः–माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

17/11/25

सरकार के अपर सचिव

Sanj/bach/karyalaya adesh